जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकास खण्ड में भारिया जनजाति के आवेदकों की पुलिस विभाग के आरक्षक (जी.डी.) के पदों पर विशेष भर्ती अभियान के तहत् भर्ती की जाना है -

मध्यप्रदेश (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, दिनांक 11 जनवरी, 2010 के पालन में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग में आरक्षक संवर्ग के पदों पर भर्ती करने के संबंध में नियम प्रक्रिया एवं निर्देश -

मध्यप्रदेश (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, दिनांक 11 जनवरी 2010 एवं 2 अगस्त 2014 के पालन में आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध के अनुसार जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति के आवेदकों की पुलिस विभाग के आरक्षक (जी.डी.) के 08 पदों पर विशेष भर्ती अभियान के तहत् भर्ती की जाना है।

15 दिसम्बर 2017 से 14 जनवरी 2018 तक रक्षित निरीक्षक, रक्षित केन्द्र (पुलिस लाइन) छिन्दवाड़ा में निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे। तथा जीओपी 137/12 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं एवं शारीरिक मापदण्ड का परीक्षण किया जावेगा। योग्य पाये गये उम्मीदवारों का भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उनके द्वारा जिस पद हेतु आवेदन किया गया है, उस पर के लिये मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा सूची अनुमोदन उपरांत चयन सूची प्रकाशित की जावेगी एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा कराई जावेगी। तथा उनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(1) **सामान्य :-**

1. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

2.(अ)शासन के आदेशानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, आरक्षक पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो। (ब) **निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास होना चाहिये अर्थात** यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास 8वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। (स) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल, दिनांक 12 मई 2017 के बिन्दु 3 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिये अभ्यर्थियों का म.प्र. राज्य रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

(2) **आयु :-**

1 अगस्त 2017 को उम्मीदवार ने 18 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पुलिस विभाग के लिये जारी दिनांक 05 जून 2017 का परिपत्र लागू रहेगा।

(3) **शैक्षणिक योग्यता -**

बैगा, सहरिया एवं भरिया आदिम जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(4) **शारीरिक मापदण्ड :-**

आरक्षक (जी.डी.) पर पद भर्ती के लिये उम्मीदवारों को शारीरिक अर्हतायें निम्नलिखित होगी-

1. **पुरुष वर्ग के लिये न्यूनतम शारीरिक अर्हतायें -** ऊँचाई 160 से.मी., सीना 76 से.मी. बिना फुलाये एवं 81 से.मी. फुलाने पर (5 से.मी. फुलाया जाना अनिवार्य है)। 2. **महिलाओं के लिये -** महिला उम्मीदवार के लिये 158 से.मी. न्यूनतम ऊँचाई निर्धारित की जाती है। महिला उम्मीदवारों के लिये सीने का कोई मापदण्ड नहीं लिया जावेगा। 3. उम्मीदवारों का शरीर किसी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिये। नॉक-नी तथा तलवे समतल नहीं होना चाहिये। प्रक्रिया के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में निर्धारित मापदण्डों में पूर्णतः फिट होना अनिवार्य होगा। निर्धारित मापदण्डों में जो उम्मीदवार अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनको नियुक्ति नहीं दी जायेगी।

(5) **दृष्टि :-**

उम्मीदवारों को आँखों से संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिये तथा आँखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 से कम एवं दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे 6/12 से कम नहीं होना चाहिये। मुख्य रंगों का भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिये।

(6) **प्रावीण्य सूची :-**

रिक्त पदों हेतु बुलाये गये आवेदनों को इकाई द्वारा एकत्रित किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ उनकी न्यूनतम योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। रिक्त पदों के अनुसार आवेदकों की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनकी मैरिट सूची तैयार की जायेगी। इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की मैरिट सूची तैयार कर अपने जोन/विसबल रेंज पुलिस महानिरीक्षक से अनुमोदित कराई जाना आवश्यक है। चयन सूची प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

(7) **आरक्षण :-**

नियुक्तियों में आरक्षण प्रावधान का अनुपालन किया जावेगा।

(8) **चयन प्रक्रिया :-**

(1) **आवेदन पत्र जमा करना :-** 1. आवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा तथा डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 2. विज्ञापन में प्रसारित अनुसार निर्धारित तिथियों में संबंधित जिलों के सेनानी/पुलिस अधीक्षकों द्वारा आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों को जमा किये जायेंगे तथा आवेदन पत्र का पंजीयन किये जाकर पंजी में दर्ज क्रमांक, आवेदक की पावती में अंकित कर आवेदक का पावती प्रदान की जायेगी तथा पंजी पर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे। 3. आवेदक को प्रदान पावती में शारीरिक माप-जोख एवं दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित होने की तिथि एवं स्थान का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे। 4. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। 5. आवेदक को प्रदान की गई पावती में उल्लेखित दिनांक पर आवेदक का प्रथमतः शारीरिक माप-जोख किया जायेगा। माप-जोख में योग्य पाये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज परीक्षण किया जायेगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक माप-जोख में अयोग्य पाया जाता है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। (उसे किसी पद पर चयनित होने की पात्रता नहीं होगी)

(9) **यात्रा किराया :-**

उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने तथा शारीरिक माप-जोख एवं दस्तावेज परीक्षण आदि में उपस्थित होने पर शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जायेगा।

(10) दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप-जोख में योग्य पाये गये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की जावेगी।

(11) प्रावीण्य सूची के अनुसार चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। जिसमें उम्मीदवारों को योग्य पाया जाना अनिवार्य है। योग्य पाये गये उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जावेगी। किसी भी चरण में अयोग्य उम्मीदवारों की उम्मीदवारी स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, चाहे वह शारीरिक माप-जोख एवं चाहे गये दस्तावेज परीक्षण में तथा प्रावीण्य सूची में चयनित ही क्यों ना हुआ हों।

(12) **चरित्र सत्यापन की कार्यवाही :-**

1. नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। संबंधित इकाई द्वारा उम्मीदवारों को अनुप्रमाणन फार्म प्रदान कर पूर्ण रूप से उम्मीदवार से फार्म भरवाकर चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। 2. यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगा।

(13) **स्वास्थ्य परीक्षण :-**

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा। जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(14) **सामान्य निर्देश :-**

1. चयन सूची जारी होने की दिनांक से 12 माह तक प्रभावशील रहेगी। 2. चयन संबंधी समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखा जावेगा। उक्त रिकार्ड 3 वर्ष बाद ही नष्ट किया जावेगा। उक्त प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायालय प्रकरण/विभागीय जाँच लंबित रहती है तो उक्त प्रक्रिया के पूर्ण होने तक उक्त चयन प्रक्रिया का रिकार्ड संभाल कर रखा जायेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित इकाई प्रमुख की रहेगी। 3. सभी रिकार्ड बॉल पेन से लेख किये जावेंगे। 4. उम्मीदवारों से परिशिष्ट (अ) पर संलग्न फार्म के प्रारूप के अनुरूप ही फार्म भरवाकर लिया जायेगा। 5. फार्म जमा करने के उपरांत उम्मीदवार को परिशिष्ट (ब) पर संलग्न फार्म के प्रारूप के अनुरूप पावती दी जायेगी। 6. दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप-जोख में एकरूपता एवं पारदर्शिता के लिये नमूना कार्ड का प्रारूप परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है। 7. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी प्रभावी रहेंगे।

परिशिष्ट (अ)

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय सहरिया, बैगा एवं भरिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

पंजीयन क्रमांक .... **दिनांक** ....

पासपोर्ट साईज का फोटो जिसमें फोटो खिंचवाने की दिनांक का उल्लेख हो। फोटो तीन माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. लिंग ....
5. जन्मतिथि (अंकों में) ....
6. जन्मतिथि (शब्दों में) ....
7. आदिम जनजाति का नाम ....
8. पहचान चिन्ह ....
9. वर्तमान पता ....
10. **शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-**

क्र.	**परीक्षा का नाम**	**उत्तीर्ण होने का वर्ष**	**पूर्णांक/प्राप्तांक**	**प्रतिशत**

11. रोज़गार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक ....
12. मूल निवासी प्रमाण पत्र ....

नोट : आवेदन पत्र के साथ अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ड्रायविंग लायसेंस/बैंक पासबुक) शैक्षणिक योग्यता/जाति प्रमाण-पत्र/मूल निवासी/रोज़गार पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाण पत्रों की 1-1 छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर ....
आवेदक का नाम ....
मोबाइल/दूरभाष नं. ....
दिनांक ....

परिशिष्ट (ब)

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय सहरिया, बैगा एवं भरिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आयोजित विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत आवेदन पत्र की पावती का प्रारूप

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. आवेदन पत्र का पंजी. क्र. एवं दिनांक ....
4. शारीरिक माप जोख एवं दस्तावेज परीक्षण में उपस्थित होने की दिनांक ....
5. उपस्थित होने का स्थान ....

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम ....
सील ....

जी-21246/38967/2017 **दिनांक** ....